बिहार सरकार <u>सामान्य प्रशासन विमाग</u> <u>अधिसूचना</u>

पटना-15, दिनांक ..!?-9::2.4-

संख्या--7/एम--1--413/2002सा0प्र0.14.545/भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन हेतू निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंम (1) यह नियमावली "बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।
- बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम-2 में जोड़ा जाना -उक्त नियमावली के नियम-2(घ) के बाद 2(ङ) एवं 2(च) निम्नवत् जोड़े जायेंगे:-
 - "2(ङ) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से तात्पर्य है न्यायमंडल में सबसे वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके पास जिले का प्रशासनिक प्रभार भी है;
 - 2(च) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश से तात्पर्य है विभिन्न न्यायमंडलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों का पद धारण करने वाले और उच्च न्यायिक सेवा के पद से प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारी।"
- 3. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में प्रतिस्थापन उक्त नियमावली में प्रयुक्त शब्दों ''अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश'' तथा ''जिला एवं सत्र न्यायाधीश'' को प्रत्येक स्थान पर क्रमशः शब्दों ''जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश'' तथा ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

/ गुफ्रान अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

 अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक--7/एम--1-413/2002सा0प्र0...../पटना--15, दिनांक..... प्रतिलिपिः--महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटंना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या--14 दिनांक 10.09.2024 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar General Administration Department

Notification

No-7/M-1-413/2002GAD. 1456.5.../In exercise of the powers conferred by Article 233 of the Constitution of India read with the proviso to Article 309, the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following amendment in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These rules may be called "the Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2024".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 the following new definition clauses shall be added as 2(e) and 2(f) after rule 2(d):-

- "2(e) The Principal District and Sessions Judge shall mean the senior most District and Sessions Judge in the judgeship, who also has the administrative charge over the District;
- 2(f) The District and Additional Sessions Judge shall mean and include the officers occupying the posts of Additional District and Sessions Courts in various Judgeships and those on deputation from the Superior Judicial Service."

3. Substitution in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

The words "Additional District and Sessions Judge" and "District and Sessions Judge" wherever used in the said Rules, 1951 shall be substituted by the words "District and Additional Sessions Judge and Principal District and Sessions Judge" respectively.

> By order of the Governor of Bihar, (Ghufran Ahmad) Joint Secretary to the Govt.

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

Joint Secretary to the Govt.

Copy Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/Additional Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-14 dated 10.09.2024/Secretary, B.P.S.C., Patna/Secretary, Law Department, Bihar, Patna/All Principal District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D., Bihar, Patna for information and necessary action.

Inc.

Joint Secretary to the Govt.